न्यायालय: - पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (आप.प्रक.क. :- 566 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 06 / 08 / 15)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

<u>/ / विरूद्ध / /</u>

बेताल जाटव पुत्र अयोध्या प्रसाद जाटव उम्र ४४ वर्ष 01. निवासी: – समता नगर मालनपुर, थाना-मालनपुर, जिला भिण्ड (म.प्र.) अभुियक्त।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :- 24 / 05 / 2017 को घोषित)

- आरोपी बेताल पर धारा :- 323, 506 भाग।। एवं 498 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 14/05/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, फरियादी सुनीता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी सुनीता को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आरोपी ने वर्ष 2005 से दिनांक : 14/05/15 के मध्य लगातार फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, फरियादी सुनीता के पति होते हुए उसकी मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार किया।
- प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है। 02.
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 14/05/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, आरोपी बेताल ने फरियादी सुनीता की मारपीट कर, उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने एवं जान से मारने की धमकी देने मौखिक रिपोर्ट फरियादी स्नीता द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपी बेताल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 65 / 2014 अन्तर्गत धारा :- 498 ए, 323 तथा 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपी बेताल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी स्नीता, साक्षीगण प्रियंका, ज्योति एवं अनिल के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- आरोपी बेताल के विरूद्ध धारा 323, 498 ए एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार

किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :--
 - 01. क्या आरोपी बेताल ने दिनांक : 14/05/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, फरियादी सुनीता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
 - 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सुनीता को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
 - 03. क्या आरोपी बेताल ने वर्ष 2005 से दिनांक : 14/05/15 के मध्य लगातार फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, फरियादी सुनीता के पित होते हुए उसकी मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया?
 - 04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय प्रश्न कमांक : 01 लगायत 03

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु कमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी सुनीता अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी बेताल उसका पित है। आरोपी बेताल से उसका मुँहवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.07 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में हाटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी सुनीता अ.सा.01 ने आरोपी बेताल द्वारा दिनांक :— 14/05/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं उसे

जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं आरोपी द्वारा वर्ष 2005 से लगातार दिनांक : 14/05/15 के मध्य उसकी ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, उसकी मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार फरियादी सुनीता अ.सा.06 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मालनपुर में लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 एवं पुलिस कथन प्र.पी.08 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- अभियोजन साक्षी सुभाष पाण्डेय अ.सा.०५ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 14/05/2015 को थाना मालनपुर में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी सुनीता द्वारा आरोपी बेताल के विरूद्ध महिला प्रताड़ना, मारपीट, गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर श्री महेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध क्रमांक 65 / 2015 अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 एवं 506 भाग ।। सहपठित धारा 34 भा.द. सं. लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर श्री सेंगर के हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि श्री सेंगर की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। वह महेन्द्र सिंह सेंगर के अधीनस्थकर्मी होने के कारण उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध कमांक 65 / 2015 अन्तर्गत धारा 498 ए, 323 एवं 506 भाग।। सहपिठत धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेत् प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी स्नीता की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी सुनीता, साक्षीगण प्रियंका, अनिल एवं ज्योति के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी बेताल को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 10. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 में सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान इस वावत् कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई कि आरोपी बेताल का विवाह फरियादी सुनीता से किस दिनांक को एवं किस रीति—रिवाज से हुआ था। साक्षी का आगे कहता है कि फरियादी सुनीता द्वारा उसे कथन में यह बताया गया था कि उसने आरोपी बेताल से कोर्ट मैरिज कर ली है, परन्तु इस वावत् उसके द्वारा विवेचना के दौरान कोर्ट मैरिज संबंधी कोई दस्तावेज फरियादी सुनीता से एकत्रित नहीं किया गया। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि सुनीता ने उसे पुलिस कथन में कहीं पर भी यह नहीं बताया था कि आरोपी बेताल उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। साक्षी ने स्वतः कहा कि फरियादी सुनीता ने उसे यह बताया था कि आरोपी बेताल

चरित्रहीन है और उसे परेशान करता है। प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 04 में सुभाष पाण्डेय अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.04 प्राप्त होने के पश्चात् अनुसंधान के क्रम में इस आशय की कोई क्वेरी रिपोर्ट नहीं मांगी थी कि घटना दिनांक: 04/05/2015 की रात के समय की कोई चोट सुनीता को है, अथवा नहीं।

- 11. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी प्रियंका अ.सा.01, ज्योति अ.सा.02 एवं अनिल अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहत सुनीता को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उसकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।
- 12. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी बेताल ने दिनांक :— 14/05/2015 को सुबह लगभग 04:30 बजे फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, फरियादी सुनीता की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी सुनीता को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आरोपी ने वर्ष 2005 से दिनांक : 14/05/15 के मध्य लगातार फरियादी सुनीता की ससुराल स्थित समता नगर मालनपुर में, फरियादी सुनीता के पित होते हुए उसकी मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार किया।

अंतिम निष्कर्ष

- 13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी बेताल के विरूद्ध धारा 323, 498 ए एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी बेताल को धारा 323, 498 ए एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 14. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद